भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 394

15 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभार्थी

394. श्री बसंत कुमार पांडा:

श्री के० नवासखनी:

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर:

श्री सु० थिरूनवुक्करासर:

श्री जी० एम० सिद्देश्वर:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत लॉकडाउन अवधि के दौरान वितरित राशन से लाभ मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य-वार कितने लोगों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने लॉक-डाउन अवधि के बाद भी सुविधा प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राशन कार्ड वाले सभी घरों में अतिरिक्त गेहूं या चावल और दाल सहित राज्यों में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, लेकिन यह देश में कुपोषण की भारी भरकम और बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि वर्तमान में अधिकांश एक संतुलित आहार नहीं ले सकते क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर आहार की कीमत 2.12 डॉलर प्रतिदिन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत भविष्य में प्रत्येक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (च): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज उद्घोषणा के अन्तर्गत, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष

........2/-

लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को 3 माह अर्थात अप्रैल-जून, 2020 की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह का निःशुल्क अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इस पैकेज में, विभाग के पत्र दिनांक 30.03.2020 (प्रति अनुबंध-1 में संलग्न है) द्वारा लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 121 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए थे। उक्त पैकेज अगले 5 माह अर्थात नवबंर 2020, तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। तदनुसार, लगभग 80.43 करोड़ लाभार्थियों को आवंटन हेतु इस विभाग के दिनांक 08.07.2020 (प्रति अनुबंध-2 में संलग्न है) के पत्र द्वारा इन पांच महीनों (अर्थात जुलाई 2020 से नवबंर 2020 तक) के लिए लगभग 201 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह निःशुल्क आवंटन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के माध्यम से किये जा रहे सामान्य आवंटन के अतिरिक्त था।

*****

अनुबंध-1 ख

लोक सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 394 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

फा.सं.7-1/2019(i)-बीपी.III

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 30 मार्च, 2020

सेवा में

1. प्रधान सचिव/सचिव,
   खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

विषय: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- टीपीडीएस (एएवाई और पीएचएच) के तहत सभी लाभार्थियों को तीन माह के लिए अर्थात अप्रैल- जून, 2020 की अवधि के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वितरण करने के लिए खाद्यान्नों का नि:शुल्क अतिरिक्त आवंटन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30.03.2020 के विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. फा. सं. 7-1/2019(i)-बीपी.III के क्रम में मुझे टीपीडीएस(एएवाई और पीएचएच) के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को तीन माह के लिए अर्थात अप्रैल- जून, 2020 की अवधि के लिए 5किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर अनुबंध के अनुसार, खाद्यान्नों का नि:शुल्क वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन की सूचना प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को एनएफएसए के तहत उठान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर एनएफएसए के तहत मासिक आवंटन के साथ अतिरिक्त आवंटन का उठान करने की सलाह दी जाती है। तथापि, ऐसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिन्होंने अप्रैल माह के लिए एनएफएसए के तहत आवंटन पहले ही उठा लिए हैं, वे अप्रैल माह के लिए हुए अतिरिक्त आवंटन को 30 अप्रैल तक उठा सकते हैं। इसके अलावा, यह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वे पूर्व में हुए अतिरिक्त मासिक आवंटन को उठा लें बशर्ते कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के पास स्टॉक उपलब्ध हो।

3. उपर्युक्त आवंटन एनफएसए के तहत नियमित मासिक आवंटन के अतिरिक्त होगा।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

ह./

(अभय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. अपर सचिव (नीति एवं भारतीय खाद्य निगम)
3. आर्थिक सलाहकार (एनएफएसए)
4. कार्यकारी निदेशक (बिक्री)/महाप्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
5. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय।

लोक सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 394 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी लाभार्थियों को तीन माह की अवधि अर्थात अप्रैल-जून, 2020 के लिए खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	एनएफएसए के तहत पहचान किए गए व्यक्तियों की सं. (लाख में)			प्रति माह अतिरिक्त आवंटन (टन में)					
	एएवाई	पीएचएच	कुल	एएवाई			पीएचएच		
				गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
आंध्र प्रदेश	23.52	244.71	268.23	0.00	11760.00	11760.000	0.000	122355.000	122355.000
अरुणाचल प्रदेश	1.47	6.74	8.21	0.00	736.55	736.550	0.000	3369.055	3369.055
असम	29.59	221.94	251.53	0.00	14793.27	14793.270	0.000	110971.350	110971.350
बिहार	116.55	740.57	857.12	0.00	58275.00	58275.000	0.000	370285.000	370285.000
छत्तीसगढ़	20.42	180.35	200.77	0.00	10210.00	10210.000	0.000	90175.000	90175.000
दिल्ली	2.90	69.83	72.73	0.00	1452.02	1452.015	0.000	34914.605	34914.605
गोवा	0.50	4.82	5.32	0.00	248.54	248.540	0.000	2411.430	2411.430
गुजरात	42.77	339.77	382.54	0.00	21384.87	21384.870	0.000	169883.065	169883.065
हरियाणा	11.35	115.14	126.49	5675.00	0.00	5675.000	57570.000	0.000	57570.000
हिमाचल प्रदेश	7.67	20.98	28.64	0.00	3832.57	3832.570	0.000	10489.710	10489.710
झारखंड	37.98	225.72	263.70	0.00	18987.78	18987.780	0.000	112862.335	112862.335
कर्नाटक	43.91	358.02	401.93	0.00	21955.00	21955.000	0.000	179010.000	179010.000
केरल	25.59	129.21	154.80	0.00	12793.14	12793.140	0.000	64606.920	64606.920
मध्य प्रदेश	50.20	496.22	546.42	0.00	25101.66	25101.660	0.000	248108.340	248108.340
महाराष्ट्र	108.01	592.16	700.17	0.00	54005.00	54005.000	0.000	296080.000	296080.000
मणिपुर	2.01	22.56	24.57	0.00	1002.50	1002.500	0.000	11281.405	11281.405
मेघालय	2.91	18.54	21.46	0.00	1456.81	1456.805	0.000	9270.780	9270.780
मिजोरम	0.82	5.86	6.68	0.00	408.70	408.700	0.000	2932.375	2932.375
नागालैंड	2.11	11.94	14.05	0.00	1053.83	1053.825	0.000	5969.610	5969.610
उड़ीसा	41.78	281.82	323.60	0.00	20888.81	20888.810	0.000	140909.270	140909.270
पंजाब	7.71	133.74	141.45	3855.00	0.00	3855.000	66870.000	0.000	66870.000
राजस्थान	37.00	409.62	446.62	18500.00	0.00	18500.000	204810.000	0.000	204810.000
सिक्किम	0.55	3.24	3.79	0.00	273.54	273.535	0.000	1620.405	1620.405
तमिलनाडु	73.27	284.07	357.34	0.00	36635.19	36635.190	0.000	142033.370	142033.370
तेलंगाना	15.29	176.33	191.62	0.00	7645.00	7645.000	0.000	88165.000	88165.000
त्रिपुरा	4.98	19.85	24.83	0.00	2489.67	2489.665	0.000	9924.400	9924.400
उत्तर प्रदेश	204.73	1315.86	1520.59	0.00	102362.50	102362.500	0.000	657930.715	657930.715
उत्तराखंड	7.92	54.04	61.96	0.00	3959.23	3959.230	0.000	27019.720	27019.720
पश्चिम बंगाल	54.99	546.85	601.84	0.00	27495.19	27495.190	0.000	273423.660	273423.660
अ. और नि.	0.14	0.46	0.61	0.00	72.14	72.135	0.000	232.175	232.175
दमन व दीव	0.04	0.72	0.76	0.00	21.60	21.595	0.000	360.465	360.465
डीएनएच (वस्तु)	0.20	1.53	1.73	0.00	101.32	101.315	0.000	762.715	762.715
लक्षद्वीप	0.04	0.18	0.22	0.00	20.00	20.000	0.000	90.000	90.000
जम्मू-कश्मीर	10.61	61.44	72.05	0.00	5303.22	5303.220	0.000	30721.565	30721.565
लद्दाख	0.29	1.15	1.44	0.00	146.02	146.020	0.000	573.455	573.455
कुल	**989.80**	**7095.99**	**8085.79**	**28030.00**	**466870.63**	**494900.630**	**329250.000**	**3218742.895**	**3547992.895**
संघ राज्य क्षेत्र या उनके भाग जहां डीबीटी नकद स्कीम कार्यान्वित की जा रही है									
डीएनएच (नकद)	0.00	0.36	0.36	0.00	0.68	0.675	0.000	181.305	181.305
चंडीगढ़	0.01	2.74	2.75	3.29	0.00	3.285	1372.405	0.000	1372.405
पुडुचेरी	0.84	5.44	6.28	0.00	420.04	420.035	0.000	2721.695	2721.695
कुल (डीबीटी)	**0.85**	**8.55**	**9.40**	**3.29**	**420.71**	**424.00**	**1372.41**	**2903.00**	**4275.41**
कुल योग	**990.65**	**7104.54**	**8095.19**	**28033.29**	**467291.34**	**495324.63**	**330622.41**	**3221645.90**	**3552268.30**

अनुबंध-2 ख

लोक सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 394 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

फा.सं. 7-1/2019-बीपी.III(भाग)(371225)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 08 जुलाई, 2020

सेवा में,

1. प्रधान सचिव/सचिव,
   खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)।
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
   भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

विषयः **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -** पांच माह अर्थात जुलाई - नवम्बर, 2020 की अवधि के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत सभी लाभार्थियों (डीबीटी के तहत शामिल किए गए व्यक्तियों सहित एएवाई तथा पीएचएच) को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क वितरण हेतु खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन के विस्तार के संबंध में।

महोदय/महोदया,

पांच माह की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के विस्तार के संबंध में इस विभाग के दिनांक 30.06.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7-1/2019-बीपी.III (भाग) के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को अनुबंध के अनुसार पांच माह अर्थात जुलाई - नवम्बर, 2020 की अवधि के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत सभी लाभार्थियों (एएवाई तथा पीएचएच तथा डीबीटी) को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क वितरण हेतु खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन को सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उठान हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर एनएफएसए के अंतर्गत मासिक आवंटित के साथ अतिरिक्त आवंटन उठाने की सलाह दी जाती है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने जुलाई, 2020 माह के लिए एनएफएसए के तहत आवंटन पहले ही उठा लिया है, वे इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जुलाई, 2020 हेतु इस अतिरिक्त आवंटन को उठा सकते हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेक पर पूर्व में अतिरिक्त आवंटन उठा सकते हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय खाद्य निगम के पास स्टॉक की उपलब्धता के अधीन है।

3. उपर्युक्त आवटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमित मासिक आवंटन के अतिरिक्त होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अतिरिक्त आवंटन के बारे में वृहद प्रचार करें ताकि प्रत्येक लाभार्थी को पीएमजीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्नों की अपनी पात्रता के बारे में जानकारी हो।

4. भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बिना किसी हिस्सेदारी के खाद्य सब्सिडी, राज्य के भीतर परिवहन तथा डीलर का मार्जिन/डीलर का अतिरिक्त मार्जिन सहित ऐसे वितरण के कारण सम्पूर्ण लागत वहन करेगी।

5. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि

हस्ता./-

(के.रॉय वर्गीस)

अवर सचिव, भारत सरकार

पीएमजीकेएवाई विस्तारण के अंतर्गत एएवाई एवं पीएचएच के तहत जुलाई-नवंबर, 2020 की अवधि के लिए आवंटन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन एफ एस ए के तहत पहचान किए गए परिवारों/व्यक्तियों की संख्या (लाख में)			खाद्यान्नों की प्रति माह आवश्यकता (टन में)							5 माह के लिए कुल खाद्यान्न (टन में)
		ए ए वाई	प्राथमिकता	कुल व्यक्ति	ए ए वाई			पी एच एच			1 माह के लिए कुल खाद्यान्न (टन में)	
		व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		गेहूं	चावल	योग	गेहूं	चावल	योग		
1	आंध्र प्रदेश	23.52000	244.71000	268.23000	0.00000	11760.00000	11760.000	0.000	122355.000	122355.000	134115.000	670575
2	अरुणाचल प्रदेश	1.47310	6.73811	8.21121	0.00000	736.55000	736.550	0.000	3369.055	3369.055	4105.605	20528.025
3	असम	29.58654	221.94270	251.52924	0.00000	14793.27000	14793.270	0.000	110971.350	110971.350	125764.620	628823.1
4	बिहार	125.05000	746.11341	871.16341	25010.00000	37515.00000	62525.000	149222.682	223834.023	373056.705	435581.705	2177908.525
5	छत्तीसगढ़	20.42000	180.35000	200.77000	0.00000	10210.00000	10210.000	0.000	90175.000	90175.000	100385.000	501925
6	दिल्ली	2.90403	69.82921	72.73324	1161.61200	290.40300	1452.015	27931.684	6982.921	34914.605	36366.620	181833.1
7	गोवा	0.49708	4.82286	5.31994	0.00000	248.54000	248.540	0.000	2411.430	2411.430	2659.970	13299.85
8	गुजरात	42.76974	339.76613	382.53587	14969.40900	6415.46100	21384.870	118918.146	50964.920	169883.065	191267.935	956339.675
9	हरियाणा	11.35000	115.14000	126.49000	5675.00000	0.00000	5675.000	57570.000	0.000	57570.000	63245.000	316225
10	हिमाचल प्रदेश	7.66514	20.97942	28.64456	2250.86836	1581.70164	3832.570	6160.607	4329.103	10489.710	14322.280	71611.4
11	झारखंड	37.97556	225.72467	263.70023	2149.41670	16838.36330	18987.780	12776.016	100086.319	112862.335	131850.115	659250.575
12	कर्नाटक	43.91000	358.02000	401.93000	0.00000	21955.00000	21955.000	0.000	179010.000	179010.000	200965.000	1004825
13	केरल	25.58628	129.21384	154.80012	2339.86531	10453.27469	12793.140	11816.606	52790.314	64606.920	77400.060	387000.3
14	मध्य प्रदेश	50.20332	496.21668	546.42000	20081.32800	5020.33200	25101.660	198486.672	49621.668	248108.340	273210.000	1366050
15	महाराष्ट्र	108.01000	592.16000	700.17000	30302.20550	23702.79450	54005.000	166130.488	129949.512	296080.000	350085.000	1750425
16	मणिपुर	2.00500	22.66472	24.66972	0.00000	1002.50000	1002.500	0.000	11332.360	11332.360	12334.860	61674.3
17	मेघालय	2.91361	18.54156	21.45517	0.00000	1456.80500	1456.805	0.000	9270.780	9270.780	10727.585	53637.925
18	मिजोरम	0.81740	5.86475	6.68215	0.00000	408.70000	408.700	0.000	2932.375	2932.375	3341.075	16705.375
19	नागालैंड	2.10765	11.93922	14.04687	0.00000	1053.82500	1053.825	0.000	5969.610	5969.610	7023.435	35117.175
20	उड़ीसा	41.77762	281.81854	323.59616	2771.94509	18116.86491	20888.810	18698.660	122210.610	140909.270	161798.080	808990.4
21	पंजाब	7.71000	133.74000	141.45000	3855.00000	0.00000	3855.000	66870.000	0.000	66870.000	70725.000	353625
22	राजस्थान	37.00000	409.62000	446.62000	18500.00000	0.00000	18500.000	204810.000	0.000	204810.000	223310.000	1116550
23	सिक्किम	0.54707	3.24081	3.78788	0.00000	273.53500	273.535	0.000	1620.405	1620.405	1893.940	9469.7
24	तमिलनाडु	73.27038	284.06674	357.33712	1611.94836	35023.24164	36635.190	6249.468	135783.902	142033.370	178668.560	893342.8
25	तेलंगाना	15.29000	176.33000	191.62000	0.00000	7645.00000	7645.000	0.000	88165.000	88165.000	95810.000	479050
26	त्रिपुरा	5.65500	19.36333	25.01833	0.00000	2827.50000	2827.500	0.000	9681.665	9681.665	12509.165	62545.825
27	उत्तर प्रदेश	131.12790	1322.82663	1453.95453	39338.37000	26225.58000	65563.950	396847.989	264565.326	661413.315	726977.265	3634886.325
28	उत्तराखंड	7.91846	54.02154	61.94000	2375.53800	1583.69200	3959.230	16206.462	10804.308	27010.770	30970.000	154850
29	पश्चिम बंगाल	54.99038	546.84732	601.83770	16359.63805	11135.55195	27495.190	162687.078	110736.582	273423.660	300918.850	1504594.25
30	अ. और नि.	0.14427	0.46435	0.60862	8.79326	63.34174	72.135	28.302	203.873	232.175	304.310	1521.55
31	डीएनएच और डीडी (डीबीटी सहित)	0.24910	2.63019	2.87929	27.71238	96.83763	124.550	292.609	1022.486	1315.095	1439.645	7198.225
32	लक्षद्वीप	0.04000	0.18000	0.22000	0.00000	20.00000	20.000	0.000	90.000	90.000	110.000	550
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00618	2.78817	2.79435	3.09000	0.00000	3.090	1394.085	0.000	1394.085	1397.175	6985.875
34	पुदुचेरी (पीएमजीकेवाई)	0.84855	5.49535	6.34390	0.00000	424.27500	424.275	0.000	2747.675	2747.675	3171.950	15859.75
35	जम्मू-कश्मीर	10.60644	61.80423	72.41067	1567.10151	3736.11849	5303.220	9131.575	21770.540	30902.115	36205.335	181026.675
36	लद्दाख	0.29204	1.14691	1.43895	43.14891	102.87109	146.020	169.456	403.999	573.455	719.475	3597.375
	योग	926.23784	7117.12139	8043.35923	190401.990	272716.930	463118.920	1632398.584	1926162.111	3558560.695	4021679.615	20108398.08